139

# न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, ग्वालियर (म0प्र0)

प्रकरण क्र0 निग0 4027-I-14

1. नितिन कुमार तनय लक्ष्मीप्रसाद खरे
निवासी – राजनगर , तहसील राजनगर
2. राकेश कुमार तनय नंदकिशोर अवस्थी
निवासी – छतरपुर तहसील व जिला – छतरपुर म0 प्र0
3. धरमदास तनय जगदीशप्रसाद पंचाल
निवासी – बगौता , तहसील व जिला छतरपुर म0प्र0 ..................... **निगरानीकर्तागण**

**बनाम**

1. गोविन्दास तनय पिरवा ढीमर
निवासी – राजनगर, तहसील राजनगर
जिला – छतरपुर म0 प्र0
2. राजू तनय पिरवा ढीमर
3. पंचम तनय बचंनुवा ढीमर
4. सुखन तनय बचनुवा ढीमर
5. केतकी पुत्री बचनुवा ढीमर
निवासीगण ग्राम – राजनगर
हाल निवास जबलपुर म0प्र0 ..................... **गैरनिगरानीकर्तागण**

**निगरानी विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी महोदय, राजनगर के अपील प्रकरण क्र0 65/अपील/2012–13 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 26.11.2014 से परिवेदित होकर अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959**

महोदय,

निगरानीकर्तागण निम्नलिखित निगरानी सादर प्रस्तुत करते है :–

## निगरानी के तथ्य

1. यह कि ग्राम राजनगर की भूमि खसरा नं0 1053 रकवा 0.429 हे0 का खाता राजस्व अभिलेख में हम निगरानीकर्तागणों के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर इन्द्राज है। इस भूमि में निगरानीकर्ता क्र0 01 का हिस्सा 2/3 , निगरानीकर्ता क्र0 02 व 03 का हिस्सा 1/6 – 1/6 दर्ज है । यह भूमि निगरानीकर्तागणों के कब्जे , दखल की भूमि है ।

क्रमशः //2//

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण क्रमांक** निगरानी-4027-एक/2014 जिला छतरपुर नितिन विरूद्ध गोविन्ददास

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 07-01-2019 | 1. प्रकरण प्रस्तुत ।<br><br>2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री एस.के. श्रीवास्तव उपस्थित । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजनगर के प्रकरण क्रमांक 65/अपील/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 26-11-2014 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 05-12-2014 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी।<br><br>3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार –<br><br>''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।''<br><br>4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । | |

5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 27-02-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 7/1/19
सदस्य